पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)भू–अर्जन–10–05 / 2015 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री केशव मछुआ, जंजीरवाहक, विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना राँची द्वारा कतिपय आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या– 4857 दिनांक– 11.09.2015 के द्वारा श्री मछुआ के विरूद्ध असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। संचालन पदाधिकारी ने दिनांक– 14.06.2003 से दिनांक– 08.02.2004 (लगभग आठ माह) तक बिना आवेदन के अनुपस्थित रहने के लिए दोषी माना है। इस प्रकार उक्त प्रमाणित आरोप के लिए दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 5741 दिनांक– 26.12.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई थी।

श्री केशव मछुआ, जंजीरवाहक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य का उल्लेख नहीं है जिससे कि उनके द्वितीय कारण पृच्छा पर विचार किया जा सके।

अतः श्री केशव मछुआ, जंजीरवाहक, विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना राँची के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(iii) दिनांक– 14.06.2003 से दिनांक– 08.02.2004 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के लिए कोई वेतन भुगतान नहीं किया जायगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन में की जायगी।

(iv) निर्वाचन कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में श्री मछुआ निलंबित रहे हैं। उक्त निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

अतएव एतद् द्वारा सरकार का उपर्युक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J S (N) _Bhu_Argan_10_05_2015_Kesaw Machuwa.docx 2

ज्ञापांक : ......1488......राँची / दिनांक ...22-03-17...

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार / विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू–अर्जन कार्यालय मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची / संयुक्त सचिव, प्रशाखा –14, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री केशव मछुआ, जंजीरवाहक, विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Bhu_Argan_10_05_2015_Kesaw Machuwa.docx 3